न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बावड़ी, जिला–जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती सुमित्रा पारीक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–167 / 2020

प्रार्थीया:–

तुलसीदेवी उर्फ तुलछाई पत्नी श्री दुर्गाराम जी, जाति जाट, निवासी–ग्राम मैलाणा, तहसील बावड़ी, जिला–जोधपुर (राज.) ।

बनाम

अप्रार्थीगण:–

1. जमनाई पत्नी श्री खेताराम,
2. मंगलाराम पुत्र अर्जूनराम,
3. भोमाराम पुत्र अर्जूनराम,
4. पुरखाराम पुत्र अर्जूनराम,
5. शेराराम पुत्र अर्जूनराम,

सभी जातियान् जाट, निवासीगण–ग्राम मैलाणा, तहसील बावड़ी, जिला–जोधपुर।

6. नरपतसिंह पुत्र स्व. करणसिंह
7. सवाईसिंह पुत्र स्व. करणसिंह
8. सायरी देवी पत्नी स्व. करणसिंह सभी जातियान् राव, निवासीगण–हड़मानसागर, मैलाणा तहसील बावड़ी, जिला–जोधपुर।
9. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार बावड़ी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित:–

1. श्री माणकराम माली अधिवक्ता प्रार्थीया
2. श्री सोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2022.04.27 18:55:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

Scanned with CamScanner

निर्णयः–

दिनांकः–11.03.2022

माननीय न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर के राजस्व अपील संख्या 9/2020 निर्णय दिनांक 13.03.2020 द्वारा प्रकरण इस न्यायलय को पुनः इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि नये सिरे से अपीलाधीन भूमि की पैमाईश करवाकर दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

पक्षकारन् को जरिये नोटिस तलब किया गया। पक्षकारान जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। न्यायालय के निर्देशानुसार पक्षकारान् के रूबरू पुनः मौके पर पैमाईश रिपोर्ट हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी की जाकर पैमाईश रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार बावड़ी के पत्रांक/1526 दिनांक 24.06.2021 द्वारा पैमाईश फर्द दिनांक 06.04.2021 द्वारा प्रस्तुत पैमाईश फर्द शामिल मिसल की गई। मौका फर्द पैमाईश अनुसार प्रार्थीया अपनी वादग्रस्त आराजी ग्राम मैलाणा के खेत खसरा नम्बर 756/9 रकबा 13 बीघा 05 बिस्वा भूमि की पत्थरगढ़ी करवाना चाहती है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण (विपक्षीगण) के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र व पुनः मंगवाई गई पैमाईश फर्द दिनांक 06.04.2021 पर बहस सुनी गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह बात निःसंदेह है। कि प्रार्थीया स्वयं की खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने की अधिकारी है। वैसी भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नहीं है। तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक सिद्वान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थीया स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2022.04.27 18:55:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

Scanned with CamScanner

आदेश

प्रार्थीया की और से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 111 , 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार बावड़ी को आदेश दिये जाते है। कि ग्राम मैलाणा तहसील बावड़ी के कृषि भूमि खसरा नंम्बर 756 / 9 रकबा 13 बीघा 05 बिस्वा भूमि की मौका फर्द पैमाईश दिनांक 06.04.2021 अनुसार पत्थरगढ़ी की जावें। वक्त पत्थरगढ़ी पुलिस ईमदाद की आवश्यकता हो तो थानाधिकारी पुलिस थाना खेड़ापा से पुलिस इमदाद ली जावें। मौका फर्द दिनांक 06.04.2021 इस निर्णय का भाग रहेगी। तहसीलदार बावड़ी को पालनार्थ तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुमित्रा पारीक
उपखण्ड अधिकारी बावड़ी
उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2022.04.27 18:55:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner